Office of the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh
Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002

Minutes of the meeting of Madhya Pradesh State Audit Advisory Board held on 06.01.2023

Third meeting of 6thState Audit Advisory Board (SAAB) of Madhya Pradesh was held under the Chairmanship of Shri D. Sahu, Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh, Gwalior. The members present in the meeting are detailed in **Annexure-A**.

At the outset Dr. Mohd. Suhail Fazal, Dy. Accountant General (AMG-I/III) and Member Secretary-Cum-Convener greeted each of the members on the Board. All the external members and ex-officio members introduced themselves to the Board. Shri D.Sahu, Principal Accountant General (Audit-I) and Chairperson inaugurated the SAAB meeting and welcomed all the members of the Board.

Shri D.Sahu, Principal Accountant General (Audit-I) and Chairperson in his inaugural remarks stressed upon standalone/subject specific compliance audit reports and stated that we are trying to take up topics which are relevant, qualitative and to ensure good governance which is directly related to all sections of society.

He further requested the external members to give suggestions/inputs on the PAs/CAs topics proposed for the Annual Audit Plans 2023-24 and may also suggest some other topics of their choice based on their knowledge and experience for future audit plans.

After the welcome speech, Dr. Mohd. Suhail Fazal, Dy. Accountant General (AMG-I/III) and Member Secretary-Cum-Convener brief up the status of topics of Annual Audit Plan 2022-23 and intimated the Board that the topics discussed in the 2nd meeting of Board were already taken up and in progress. He started the Power-Point Presentation before the members of Board on the

brief audit profile of the office and on the topics proposed to be included in the Annual Audit Plan 2023-24 (enclosed as **Annexure-B**).

Thereafter Shri Jitendra Tiwari, Sr. Dy. Accountant General/AMG-V & Admn., Shri Sanjay Sahu, Dy. Accountant General/AMG-II and Shri R. Taraknath, Dy. Accountant General/AMG-IV gave the presentation on the topics proposed to be included in Annual Audit Plan 2023-24.

After the presentation of O/o the Principal Accountant General (Audit-I) Gwalior office, Shri Ajay V. Yeshwanth, Dy. Accountant General/AMG-IV presented the PPT of O/o Accountant General (Audit-II) Bhopal office on the topics proposed to be included in Annual Audit Plan 2023-24. The details of the topics are enclosed as **Annexure-C**.

During the presentation on the topics of the Annual Audit Plan 2023-24 of both the offices, suggestions/inputs of the Members were given on the following topics:

1. On the topic **PA on "Construction of Roads and other Public Amenities by ULBs"**, R. Tarak Nath, Dy. Accountant General/AMG-IV briefed the topic alongwith reason for selection of this topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. He stated that deficiencies in the road making and in Smart cities and Urban Clusters are also to be included. In this topic Nagar Palika, Nagar Nigam and Nagar Panchayats are also to be included.

(i) During discussion on the topic Shri D.Sahu, Principal Accountant General (Audit-I) and Chairperson stated that meetings will be done with the Mayors and Councilors who are working at the ground level to know the major issues/bottlenecks on this topic. Further, he added that audit will see the coordination among different bodies like PHE, telecommunication etc. He also requested to Shri Rahul Noronha, Associate Editor, India Today to make the people aware in participating the development activities through journalism.

(ii) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS suggested/gave inputs on the above topic as detailed below:

- He stated that, to make the road construction process more effective, the taxation process should be effective. Octroi was one of the major sources of income of State Government, but the same was revoked. The compensation given in lieu of Octroi is of meagre amount due to which economic condition of ULBs have deteriorated.
- Audit should see whether available resources are used properly or not?
- He stressed upon the quality check of roads constructed by the ULBs.
- He also stressed upon balanced growth of cities as well as countryside.

(iii) Shri Parshuram Tiwari, Social Expert suggested/given following inputs

- He suggested Audit to see the implementation of water sanitation and sewage system. He also suggested to check the status of projects funded by the loan taken from World Bank.
- There are some colonies of Housing Board which have not been taken over by allottees. These should also be seen during audit.
- He desired that communities should also participate in the process and in this regard letters/process documents may be given to CA, local activists, electoral representatives specially in Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.

(iv) **Shri Yogesh Kumar**, Executive Director, Samarthan suggested/given following inputs-

- He emphasized on objectives of 73rd and 74th amendment of constitution and stated that how a city become livable in best way, LB is yet not more effective which may be commented upon.
- He asked the Audit to comment upon structure of LB as ward level planning is yet not being done.
- Further, he suggested that a mechanism is to be developed to ensure the participation of the section for whom the houses are being

constructed. The houses should be constructed in accordance with the livelihood of beneficiaries so that a city can become livable in best way.

- Many colonies developed but not in use, reasons and impact may be analysed. Further, he referred CAG guideline on Social Audit 2008, which is a very wide initiative to connect people with the audit work. Impact analysis will come from the social audit.
- He expressed his desire to check whether mechanism from Grievance redressal is available or not? Whether it is effective?
- Audit needs to analyze the fund received from State Finance Commission and its usages.
- He further said that there is a need to see smart city investment. Whether it is citizen oriented or not? Smart city for whom, it should be inclusive.

(v) Shri Rahul Noronha, Associate Editor, India Today suggested that the urban waste management should also be included in the issues to be covered in this topic.

(vi) Ms.Bhakti Sharma, Ex Sarpanch Barkhedi suggested/given following inputs:

- She commented that there is a need to make knowledge partner with other institute like AIIITM to get inputs. Also, one to one conversation with the people and with the stakeholders may be made.
- She wanted audit to comment upon whether green walls and street lights are maintained.
- She stated that chunks of slums have been formed by shifting slums from one area to other. Development of multi for slum area people. This point may be seen and commented in audit.

- She said availability of multiple Aadhar cards with one person to avail the government services is a big concern and audit needs to check this types of cases and comment upon.

(vi) **Shri Rajeev Dubey**, Charted Accountant suggested following inputs:

- He said independent, self-financed, self-generated income need to be emphasized. Why are bodies highly depended on Government money?
- He stated that taxation system may also be reviewed during audit.
- He stated that revenue leakage is a big issue, it should be seen. Audit should examine it and make some advises to stop it.
- He further said new taxes are to be identified. Element of accountability is missing while imposing taxes. This issue may be seen and commented.
- He said that the large sum of money is spent through the procurement made by GeM portal. Further he said the L-1 of many product is higher than the market value of that product. This should also be seen.

2. On the topic **PA on "Functioning of Town and Country Planning",** Shri R. Taraknath, Dy. Accountant General/AMG-IV briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit.

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS suggested/gave inputs on the above topic as detailed below:

- He said to the Board that as this department is directly connected with the people, so Audit should see how many master plans are expired and also identify the places?
- He further added Audit should check whether new Master plans has been prepared or not? The reason behind for not preparing the master plan may also be seen and commented upon.
- He said that the land use is identified in two ways i.e. in Description method (Khasra) and through visual (colour mapping). He said master

plan is based on the visual method and not on the descriptive method. He further said the land marked for non-residential purpose but are used as residential purpose may be examined and commented.

- He suggested that audit has to see the various sections of Town and Country Planning Act. Audit should see that in how many cases the betterment tax has been imposed. He further said, if the taxes for betterment are not imposed on the parties etc., obligations must be imposed on the parties.
- He wanted Audit to check whether action is being taken by the authorities as per approved master plan.
- He also said if the agricultural land is to be converted into residential land, the value of that part of land is raised due to decision of the authority. Some part of the gain should be received as a planning gain to T&CP. These types of cases should also be identified.
- The Audit may see how many constructions have been demolished for violating the T&CP Act.
- The Honorary member made his remark about leased land. He said State has sovereign power to use land in public interest. The state has no statutory act on the lease land and the action has been taken by the executive action and not under any provision of any act. If the State wants any land the lease may be revoked from the leasee.
- He further said, as there is no country planning, therefore it should also be seen that there is any planning in any panchayat administered area.

(ii) **Shri Rahul Noronha**, Associate Editor, India Today suggested/said the following inputs-

- He said, it must be seen that in how many cases, the violation of lease granted has been done.
- He suggested cases where the Government takes measure against violation of the Master Plan.

- He further advised that Audit should check whether action is taken in case of violation of master plan. Also, application of penal provision in case of violation of master plan may be seen in audit.

3. On the topic **PA on "Performance of Public Service Commission"**, Dr. Mohd. Suhail Fazal, Dy. Accountant General/AMG-III briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. He also informed the Board that the first time the Commission is being audited. In audit we are concerned with the issues like cases of promotion and consultation. He said the vacancy reporting should be done before the issue of notification. He further said that the delay in vacancy reporting was due to reservation issues. In audit we also look into the issues whether the Government has taken any advice /consulted PSC in any issue and also look whether the advice rendered by PSC to Government is binding or not.

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS said Results was awaited and declared after the lapse of years. Outdated pattern of exams are conducted by Public Service Commission.

(ii) **Ms.Bhakti Sharma,** Ex Sarpanch Barkhedi stated that the cases of promotion may also be included in audit.

(iii) **Shri Rahul Noronha**, Associate Editor, India Today said the audit should also see that how many recruitments have been made by the Government without following the due procedure in the state in the preceding years. Further he stated the issues relating to appointment under sport quota (DSP/DC) may also be seen during audit.

4. On the topic **Audit on "Barkatullah University",** Dr. Mohd. Suhail Fazal, Dy. Accountant General/AMG-III briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. He also informed the board that the ACS has also suggested to do audit on the universities like this and the office selected this university to be audited in this Annual Audit Plan.

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS suggested to see whether Act of Braktullah University/University Act was complied with?

(ii) **Shri D.Sahu,** Principal Accountant General (Audit-I) and Chairperson stated that the University has not applied for NIRF ranking and will be at par with the eligibility criteria eligible in 4 to 5 years. He further said during the discussion we would also see the selection criteria for the faculty and the expenditure incurred in the preceding years of the university.

(iii) **Ms.Bhakti Sharma**, Ex Sarpanch Barkhedi said the university is under political pressure. Paper leaks are important issue in concern. Further she said Admission process may be analysed and commented upon.

(iv) **Shri Yogesh Kumar**, Executive Director, Samarthan suggested/given following inputs

- He said that the performance indicators may be seen in relation to Governance process.
- Further, he added VC has his own autonomy. Whether the selection of Vice Chancellor is fair? Whether the rules set are followed in a fair manner or not ? To check the norms for selection of faculty
- He advised to check status of self-finance/resource generation process of university.

5 On the topic **Audit on "Human Resource Management in School Education Department"** Dr. Mohd. Suhail Fazal, Dy. Accountant General/AMG-III briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. The members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS suggested/given the following inputs:

- The honorary member stated that the appointments are made but there are so many schools where there is no staff posted in schools. Posting

of local teachers should be prioritised. This may be checked and commented upon.

- He said that Schools should be opened in slum or in such area where the demand is real.
- He asked Audit to check how many PTMs were organized by the schools and also to see whether the strength of teachers in the schools are as per the Right to Education Act 2009.

(ii) **Shri Rajeev Dubey,** Charted Accountant suggested following inputs:

- He pointed out deployment of teacher in other works. In schools no accountants has been posted. All the works other than teaching is being done by the teachers themselves. Further, he also said the teachers should be free from other duties and their work to be confined to teaching job only.
- He also said that Audit should highlight financial irregularities relating to budget allotment and utilization.

(iii) **Shri Parshuram Tiwari,** Social Expert said that the audit should analyse the impact of deployment of teacher in other work.

(iv) **Shri Yogesh Kumar**, Executive Director, Samarthan suggested/given following inputs.

- He stated that the citizen report card may be made and this card may be used for assessing the teachers by preparing questionnaire included for knowledge and personal attitude.
- Audit to check how parents assess the teacher quality? Whether parent feedbacks are obtained? He also said that the appraisal systems are to be strong.
- In respect of Guest teachers, he said that it is also to see how they are deployed and what is the budget implication in respect of guest teachers?

(iv) **Ms. Nirasha Devi Rajpoot**, President SHG said in connection to Guest teachers that many schools are being run by Guest teachers, no regular teachers are posted in many schools. He requested to consider this point while doing audit.

(v) **Ms. Vaishali Chowdhary** President SHG said that no monitoring system is there in schools to see how many teachers are present at the school.

(vi) **Shri D.Sahu,** Principal Accountant General (Audit-I) and Chairperson stated that audit will see and analyse the local funds utilization by schools.

6 On the topic Audit on **"Transport Management in ULB"** Shri R. Taraknath, Dy. Accountant General/AMG-IV briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. The members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS suggested that utilization of Educational Cess in ULBs may be seen and analysed in audit

(ii) **Shri Rajeev Dubey, Charted Accountant suggested that** Computerized tax collection system in the ULBs may be seen.

7 On the topic **Audit on "Development of Residential Colonies in MP"** Shri R. Tarak Nath, Dy. Accountant General/AMG-IV briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. The members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava,** Retd. IAS suggested/given the following inputs:

- He stated that in the residential colonies, many instances are seen that the space for the development of parks etc. are also sold by the developers and advised Audit to highlights the issue if noticed.
- He said the stress in the audit is to be on the approved colonies i.e. the colonies approved by the authority. Audit should see that the

conditions laid in the approval were followed up or not. These conditions are in accordance with the provision of the Act.

- He also suggested to look the cases falls under Section 172 of MPLRC Act. He shared his experience and informed the board that many approved colonies are like illegal colonies as they violate all the conditions imposed by the competent authorities during the approval.

8 On the topic **Audit on "Land Diversion"** Shri Jitendra Tiwari, Sr. Dy. Accountant General/AMG-V& Admn. briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. He said the tribal land may be utilized by the sanction granted by the Collector under the section 165 of MPLRC. The members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS suggested/given the following inputs:

- He told that in case of land Diversion- only collector grant permissions to utilize the tribal land under section 165 of MPLRC. It is to check whether the collector granted the permission, or not ?
- He also suggested to look such type of cases in Gwalior and Ratlam districts.

9. On the topic**Audit on "Supply of Hot Cooked Meal"**Shri Sanjay Sahu, Dy. Accountant General/AMG-II briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. He said that during audit we stress on the bonafide beneficiaries.The members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava,** Retd. IAS suggested to check whether the presence of children at Anganwaidi is being assured?

(ii) **Ms. Vaishali Chowdhary** President SHG said that no food are being delivered according to fixed time schedule. He said to do surprise inspection at the AWCs. On this comment, PAG said how we can do surprise inspection, we have to visit with Department personnel.

(iv) **Ms. Nirasha Devi Rajpoot**, President SHG said that the attendances are marked even though the children are not going to AWCs.

(iv) **Shri Yogesh Kumar**, Executive Director, Samarthan said to do beneficiary survey and to impart training to audit party. He further said we have to take feedback from the user and from the service provider.

(v) Shri Parshuram Tiwari, Social Expert said that the beneficiaries presence, feedbacks may be seen. Also, third party Evaluation Report card can be seen in audit.

(vi) **Shri D.Sahu,** Principal Accountant General (Audit-I) and Chairperson stated that Video recording of AWCs may be done if required alongwith joint physical inspection

10. On the topic, **Audit on "Tribal Development Authority (ITDA)"** Shri Sanjay Sahu, Dy. Accountant General/AMG-II briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit. The members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) **Shri Manoj Kumar Shrivastava**, Retd. IAS said no meetings are organized by the authority.

(iv) **Shri Yogesh Kumar,** Executive Director, Samarthan said the district level consultation with the stake holders to be done and identify the issue from the stakeholders by doing a survey.

11. On the topic, **Audit on "Functioning of Medical Science University"** Shri Sanjay Sahu, Dy. Accountant General/AMG-II briefed the topic and informed the Board about the issues to be covered in the audit.

In the second half, the PPT of O/o Accountant General (Audit-II) Bhopal office on the topics of Annual Audit Plan 2023-24 was given by **Shri Ajay V. Yashwant, Dy. Accountant General/AMG-IV** and the following suggestions/inputs were given by the members:

1. **Performance Audit on Functioning of Department of Animal Husbandry & Dairying.**topic was briefed and informed the Board about the issues to be covered in the audit..The members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) Shri Manoj Kumar Shrivastava, Retd. IAS suggested/said the following inputs:

- Animal husbandry is an important department and the department's expenditure is less. The major expenditure of this department on the establishment and on the health facility the expenditure is very low. Animal husbandry is the department which has direct impact on the weaker section of society as the poor people are dependent on their pets for the milk and other products for their livelihood. If this sector is developed, it will have a direct influence on the growth of the nation.
- Further, he also suggested that the *Gaushalas* are to be inspected whether they are working in proper condition, the capacity utilization of the *Gaushala* are being utilized, Fodder is being given to the cattle in *Gaushala* and what is the utilization of *Gobar(cow dung)* in *Gaushala.*

(ii) Ms. Vaishali Chowdhary, President SHG said that audit should see that the timely payment is being made to volunteers or not.

2. The topic **Performance audit on E-Way Bills under GST,**and **Central PA on Implementation of Namami Gange Project,**was briefed to the members

3. On the **topic Implementation of Jal Jeevan Mission in PHED, t**he members suggested/gave inputs on the topic as detailed below:

(i) **Ms. Bhakti Sharma,** Ex- Sarpanch Barkhedi said that the tendering process may be seen in audit. Generally tenders are notified but not allotted.

(ii) **Shri Yogesh Kumar**, NGO Samarthan suggested/said the following inputs:

- He stated that most of the constructions are not in the working conditions. He further said no village action plan is prepared.
- Further, he added as there is a provision of incentive, fake connections are taken for the sake of incentives granted in this scheme.
- He said that there is a provision of 3rd party audit. AG should check the quality of 3rd party audit quality.

4. On the topic "Working of the of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Ltd." Shri Manoj Kumar Shrivastava, Retd. IAS suggested that audit should see the impact GeM portal on the *Laghu Udyog*.

(iii) **Shri Rahul Noronha**, Associate Editor, India Today suggested following inputs/comments"

- The MP Laghu Udyog Limited runs a chain of emporia called Mrignayanee. The MP Hastshilp Vikas NIgam, a wholly owned subsidiary of the MP Laghu Udyog Limited runs a chain of emporia called Mrignayani. The only difference in the emporia chains is in the spelling. It would be interesting to look if the emporia have a clash in terms of branding and if merging them can lead to better synergy in operations and addressing their mandate- which is to support artisans and handicrafts from Madhya Pradesh.

- The MP Laghu Udyog Limited chief role is that of a central purchase organization. In other words the organization provides specialization in purchasing. Purchasing is rule bound and their violation raises red flag in government and can be a problem for officers/ members of political executive who are part of purchase process where rules have been violated. While the role of MP Laghu Udyog Limited as central purchase org has been reduced due to certain depts having their own specialised purchasing agencies now, (the medical corporation) for

example, how effectively has MP Laghu Udyog Limited been able to tell its clients, ie govt departments, that buying through them is a practically smarter move for those involved in the procurement process?

- How many times MP Laghu Udyog Limited been able to save funds of exchequer by raising red flag when departments were buying directly and at higher price?

Meeting ended with Dr. Md. Suhail Fazal DAG (AMG-I and III) of O/o PAG (Audit-I) and Member Secretary-cum-Convener giving the vote of thanks to all the external and internal members.

All the external members appreciated the topics chosen for Annual Audit Plans as they were relevant and people centric and appreciated Shri D. Sahu, Principal Accountant General (Audit-I) and Chairperson for nice presentation and productive discussion.

23/5/23

Dy. Accountant General/AMG-I/III
& Member Secretary-cum-Convener (SAAB)

Copy forwarded to-

No.AMG-III/APDAC/SAAB-Minutes/ Dated:

1. Secretary to Principal Accountant General (Audit-I), M.P, Gwalior
2. Secretary to Accountant General (Audit-II) M.P, Bhopal.
3. Sr. Dy. Accountant General (AMG-V and Admin.)
4. Dy. Accountant General (AMG-II)
5. Dy. Accountant General (AMG-I)
6. Dy. Accountant General (AMG-VI)
7. Sr.Dy. Accountant General (AMG-I and Admin) O/o the AG (Audit-I), MP, Bhopal.
8. Dy. Accountant General (AMG-IV) O/o the AG (Audit-I), MP, Bhopal.
9. Sr.Dy. Accountant General (AMG-II) O/o the AG (Audit-I), MP, Bhopal.
10. Dy. Accountant General (AMG-III) O/o the AG (Audit-I), MP, Bhopal.
11. Shri Manoj Shrivastava, Retd. IAS
12. Prof. S. Koteshwar Rao, Vice-Chancellor of Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (RVSKVV), Gwalior.
13. Prof. Rajendra Sahu, Director of ABV-IIITM, Gwalior.
14. Ms. Nishi Misra, Principal, Scindia Kanya Vidhyalaya, Gwalior.
15. Shri Rajeev Kumar Dubey, Chartered Accountant, Indore
16. Ms. Bhakti Sharma, National Convener, Sarpanch,Barkhedi Abdulla Gram Panchayat.
17. Shri Rahul Noronha, Associate Editor, India Today
18. Dr. Parashuram Tiwari, Social Expert, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis
19. Shri Yogesh Kumar, Executive Director, Samarthan NGO
20. Ms. Nirasha Devi, President, Saraswati Devi, SHG
21. Ms. Vaishali Chowdhary, President Prerna Shakti, SHG

Harjinder 23/5/23

Dy. Accountant General/AMG-I and III
& Member Secretary-cum-Convener (SAAB)

Annexure-A

List of members present in the State Audit Advisory Board meeting held on 06.01.2023

Honorary External Members (Shri/Ms)			**InternalMembers (Shri)**		
1	Manoj Shrivastava	Retd. IAS	1	D. Sahu	Chairperson and Principal Accountant General (Audit-I), MP, Gwalior.
2	Rajeev Kumar Dubey	Chartered Accountant, Indore	2	Dr. Mohammad Fazal Suhail	Member Secretary and Convener and Dy. Accountant General/ AMG-I & III, O/o PAG (Audit-I), MP, Gwalior
3	Ms. Bhakti Sharma,	Sarpanch, Barkhedi Abdulla Gram Panchayat	3	Jitendra Tiwari	Ex-Officio Member and Sr. Dy. Accountant General/AMG-V and Admn., O/o PAG (Audit-I), MP, Gwalior
4	Shri Rahul Noronha,	Associate Editor, India Today	4	Sanjay Sahu	Dy. Accountant General/AMG-II and IV) O/o PAG (Audit-I), MP, Gwalior
5	Dr. Parashuram Tiwari,	Social Expert, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis	5	Ajay V. Yashwant	Dy. Accountant General/AMG-IV O/o AG (Audit-II), Bhopal
6	Shri Yogesh Kumar,	Executive Director Samarthan NGO	6	R. Taraknath	Dy. Accountant General/AMG- IV O/o PAG (Audit-I), MP, Gwalior
7	Ms. Vaishali Chowdhary,	President Prerna Shakti, SHG			
8	Ms. Nirasha Devi,	President, Saraswati Devi, SHG			
9	Prof. S. Koteshwar Rao	Ex- Vice Chancellor, Vijaya Raje Scindhia Agriculture University, Gwalior**(Online through MS Teams)**			
10	Prof. Rajendra Sahu	Director, Atal Bihari Vajpayee IIITM, Gwalior**(Online through MS Teams)**			

Annexure-B

List of topics of O/o Pr.A.G.(Audit-I), M.P., Gwalior

Sl.No.	Particulars of topics
1	PA on "Construction of Roads and other Public Amenities by ULBs"
2	PA on "Functioning of Town and Country Planning"
3	PA on "Performance of Public Service Commission"
4	Audit on "Barkatullah University"
5	Audit on "Human Resource Management in School Education Department"
6	Audit on "Transport Management in ULB"
7	Audit on "Development of Residential Colonies in MP"
8	Audit on "Land Diversion"
9	Audit on "Supply of Hot Cooked Meal"
10	Audit on "Tribal Development Authority (ITDA)"
11	Audit on "Functioning of Medical Science University" Jabalpur

Annexure-C

List of topics of O/o A.G.(Audit-II), M.P., Bhopal

Sl. No.	Particulars of the topics
1	Performance Audit on Functioning of Department of Animal Husbandry & Dairying.
2	Performance audit on E-Way Bills under GST
3	Central PA on Implementation of Namami Gange Project
4	Performance Audit on 'Contract Life Cycle Management of the road works executed by the MPPWD'
5	Central PA on "Solar Park and Ultra Mega Solar Power Projects"
6	Development, allotment of IT Parks/Manufacturing parks by MPSEDC
7	Implementation of Biological Diversity Act, 2002 in Madhya Pradesh and functioning of Madhya Pradesh State Biodiversity Board
8	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
9	Functioning of the Transport Department of Madhya Pradesh
10	Implementation of Micro Irrigation Projects by NVDA
11	Department's Oversight on GST Payments and Returns Filing-Phase-II
12	Assessment and reporting of estimated Royalty in mining/Quarry leases for determination of Stamp Duty and Registration Fees
13	Working of the of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Ltd.
14	Implementation of Jal Jeevan Mission in PHED
15	Implementation of Integrated Power Development Scheme (IPDS) by DISCOMs of Madhya Pradesh
16	Promotion and Development of New and Renewable Energy in Madhya Pradesh

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, लेखापरीक्षा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002

दिनांक 06.01.2023 को हुई मध्य प्रदेश राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

मध्य प्रदेश की 6वीं राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एसएएबी) की बैठक का आयोजन श्री डी साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I), मध्य प्रदेश, ग्वालियर की अध्यक्षता में किया गया था। बैठक में उपस्थित रहे सदस्यों का विवरण अनुलग्नक–क में दिया गया है।

प्रारम्भ में डा. मोहम्मद सुहेल फजल, उप महालेखाकार (एएमजी– I एवं III) एवं सदस्य सचिव सह संयोजक ने बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का स्वागत किया। सभी बाह्य सदस्यों एवं पदेन सदस्यों ने बोर्ड को अपना परिचय दिया। श्री डी साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) व अध्यक्ष ने राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक का उद्घाटन किया एवं बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

श्री डी साहू प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) व अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में एकल/विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा पर जोर दिया और बताया कि हम प्रांसगिक गुणात्मक एवं समाज के सभी वर्गों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सुशासन सुनिश्चित करने वाले विषयों की लेखापरीक्षा करने का प्रयास कर रहे है।

उन्होंने आगे बाह्य सदस्यों से वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023–24 के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा विषयों पर सुझाव/इनपुट देने तथा भविष्य की लेखापरीक्षा योजनाओं के लिए अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपनी पंसद के कुछ अन्य विषयों की लेखापरीक्षा का सुझाव देने का अनुरोध किया।

स्वागत भाषण के पश्चात, डॉ. मोहम्मद सुहेल फजल, उप महालेखाकार (एएमजी– I एवं III) एवं सदस्य सचिव–सह–संयोजक ने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022–23 के विषयों की वस्तु–स्थिति का विषय–सार प्रस्तुत किया तथा बोर्ड को सूचित किया कि बोर्ड की दूसरी बैठक में चर्चा किए गए विषयों का लेखापरीक्षा कार्य जारी है। उन्होने कार्यालय की संक्षिप्त लेखापरीक्षा प्रोफाइल तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023–24 (अनुलग्नक ख के रूप में) शामिल करने के लिए प्रस्तावित विषयों पर बोर्ड सदस्यों के सामने पॉवर–प्वांइट प्रस्तुति प्रांरभ की।

तत्पश्चात श्री जितेन्द्र तिवारी, वरि. उपमहालेखाकार (एएमजी– V एवं प्रशासन), श्री संजय साहू, उपमहालेखाकार/एएमजी–2 एवं श्री आर तारकनाथ, उपमहालेखाकार/एएमजी– IV ने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023–24 में शामिल करने के लिए प्रस्तावित विषयों पर प्रस्तुति दी।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) की प्रस्तुति के बाद, श्री अजय वी यंशवंत, उपमहालेखाकार/एएमजी– IV ने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023–24 में शामिल करने के लिए प्रस्तावित विषयों पर कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– II) भोपाल कार्यालय की पॉवर–प्वांइट प्रस्तुत की। विषयों का विवरण अनुलग्नक–ग के रूप में संलग्न है।

दोनों कार्यालयों के वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023–24 के विषयों पर प्रस्तुति के दौरान सदस्यों के सुझाव/इनपुट निम्नोकत विषयों पर दिए गए।

1. **नगरीय निकाय द्वारा सडकों एवं अन्य लोक सुविधाओं के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा** विषय पर, श्री आर तारक नाथ, उपमहालेखाकार/एएमजी– IV ने इस विषय के

चयन के कारण के साथ विषय का विषय सार प्रस्तुत किया तथा बोर्ड को लेखापरीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले मुद्दों के बारे में सूचित किया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट शहरों एवं नगरीय समूहों में सडक निर्माण करने में कमियों को भी शामिल किया जाना है। इस विषय में नगरपालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायतों को भी शामिल किया जाना है।

(i) विषय पर चर्चा के दौरान **श्री डी साहू, प्रधान महालेखाकार (ले.प.–प्रथम) व अध्यक्ष** ने बताया कि इस विषय पर प्रमुख मुद्दों/गत्यावरोधों को जानने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे महापौरों/पार्षदों के साथ बैठक की जाएगी। इसके अलावा, उन्होनें आगे कहा कि लेखापरीक्षा विभिन्न निकायों जैसे कि पीएचई, दूर–संचार आदि के बीच समन्वय को देखेगी। उन्होंने श्री राहुल नोरोन्हा, सहायक सम्पादक, इंडिया टुडे से पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को विकास के किया–कलापों में भाग लेने के लिए जागरूक बनाने का भी अनुरोध किया।

(ii) **श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आई. ए. एस.** ने उपर्युक्त विषय पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सुझाव/इनपुट दिए।

- उन्होंने बताया कि, सडक निर्माण प्रकिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, कराधान प्रकिया प्रभावी होनी चाहिए। चुंगी राज्य सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक स्रोत था, लेकिन, इसे हटा दिया गया। चुंगी के बदले दिए गए प्रतिकर की राशि कम है जिसके कारण स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।
- लेखापरीक्षा को देखना चाहिए कि क्या उपलब्ध संसाधनों का उचित रूप से उपयोग किया गया है या नहीं?
- उन्होंने स्थानीय निकाय के द्वारा निर्माण की गई सडकों की गुणवत्ता जॉच पर जोर दिया।
- उन्होंने शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की संतुलित विकास पर भी जोर दिया।

(iii) **श्री परशुराम तिवारी, सामाजिक विशेषज्ञ** ने सुझाव दिया। निम्नोक्त इनपुट दिए–

- उन्होंने लेखापरीक्षा को जल–स्वच्छता एवं सीवेज सिस्टम के कार्यन्वयन को देखने का सुझाव दिया। उन्होनें विश्व बैंक से ऋण लेकर वित्त पोषित परियोजनाओं की वस्तु–स्थिति की जॉच करने का भी सुझाव दिया।
- हाउसिंग बोर्ड की कुछ कालोनियॉ है जिन्हें आवंटितियों के द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान इनको भी देखा जाना चाहिए।
- उन्होंने इच्छा जताई कि समुदायों को प्रकिया में भाग भी लेना चाहिए तथा इस संबंध में पत्र/प्रकिया दस्तावेज सीए, स्थानीय कार्यकर्ताओं, विशेष तौर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिए जाना चाहिए।

(iv) **श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक**, समर्थन ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए–

- उन्होनें संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के उद्वेश्य पर जोर दिया और बताया कि कैसे कोई शहर सर्वश्रेष्ठ रूप से रहने योग्य बनता है, स्थानीय निकाय अभी भी अधिक प्रभावी नहीं है जिस पर टिप्पणी की जाए।
- उन्होने स्थानिय निकाय के ढॉचे पर टिप्पणी करने को कहा क्योंकि वॉर्ड स्तरीय योजनाएं अभी भी नहीं की जा रही है।
- आगे उन्होंने सुझाव दिया कि वह वर्ग जिसके लिए घरों का निर्माण किया जा रहा है, सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। घरों को निर्माण लाभार्थियों की आजीविका के अनुरूप किया जाना चाहिए जिससे कि शहर रहने योग्य बन सके।

- बहुत सी कालोनियॉ विकसित हुई, लेकिन उपयोग में नहीं हैं, अतः इनके उपयोग में न होने के कारण एवं प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए। आगे, उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामाजिक लेखापरीक्षा के दिशा–निर्देश–2008 का सन्दर्भ दिया जो लोगो को लेखापरीक्षा कार्य से जोडने के लिए बहुत बही पहल है। प्रभाव विश्लेशण सामाजिक लेखापरीक्षा से आएगा।
- उन्होंने यह आग्रह भी किया की कि क्या शिकायत निवारण के लिए तंत्र उपलब्ध है या नहीं? क्या यह प्रभावी है?
- लेखापरीक्षा का राज्य वित्त आयोग से प्राप्त की गई निधि एवं उसके उपयोग का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- उन्होने आगे कहा कि स्मार्ट सिटी निवेश को देखने की जरूरत है। क्या यह नागरिकों उन्मुख है अथवा नहीं? स्मार्ट सिटी किस के लिए, इसे समावेशी होना चाहिए।

(v) **श्री राहुल नोरोन्हा, सहायक सम्पादक, इंडिया टुडे** ने सुझाव दिया कि इस विषय पर षामिल किए जाने वाले मुद्दों में शहरी कचरा प्रबंधन को भी शामिल किया जाए।

(vi) **सुश्री भक्ति शर्मा, पूर्व सरपंच बरखेडी** ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए।

- उन्होने टिप्पणी की कि इनपुट प्राप्त करने के लिए ए.आई.आई.टी.एम. जैसे अन्य संस्थानों को नॉलेज पार्टनर बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, लोगों एवं हितग्राहियों से बातचीत की जानी चाहिए।
- उन्होने आग्रह किया कि लेखापरीक्षा इस पर टिप्पणी करें कि क्या हरी दीवारें (Green Walls) एवं स्ट्रीट लाईट अनुरक्षित है।
- उन्होने बताया कि झुग्गियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करके झुग्गियों के खंड बनाए गए है। झुग्गी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुमंजिला इमारतों का विकास। लेखापरीक्षा में इस बिंदु को देखा जाना चाहिए तथा इस पर टिप्पणी की जाना चाहिए।
- उन्होने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार कार्ड की उपलब्धता एक बडा मुद्दा है तथा लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकार के मामलों की जॉच कर उन पर टिप्पणी करनी चाहिये।

(vi) श्री राजीव दुबे, चार्टर्ड अकाउन्टेंट ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए।

- उन्होने कहा कि स्वतंत्र, स्व वित्त–पोषित, स्व–निर्मित आय पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। निकाय, शासकीय धन पर अत्यधिक आश्रित क्यों है?
- उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा के दौरान कराधान व्यवस्था की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
- उन्होंने कहा राजस्व हानि एक बडा मुद्दा है तथा इसे देखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा को इसकी जॉच करनी चाहिए तथा इसे रोकने के लिए सलाह देना चाहिए।
- उन्होंने आगे कहा कि नए करों की पहचान की जानी है। करों को अधिरोपित करते समय जवाबदेही निर्धारित नही है। इस मुद्दे को देखा जाना चाहिए तथा उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए।
- उन्होंने कहा कि Gem Portal द्वारा की गई खरीद के माध्यम से एक बडी धनराशि खर्च की जाती है। आगे उन्होंने कहा कि किसी उत्पाद का L-1 उस उत्पाद के बाजार मूल्य से उच्चतर होता है। इसको भी देखा जाना चाहिए।

2 **"टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की कार्य पद्धति" निष्पादन लेखापरीक्षा** विषय पर श्री आर तारकनाथ, उप महालेखाकार/एएमजी–IV ने विषय सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में षामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को अवगत कराया।

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आई ए एस ने उपर्युक्त विषय पर नीचे दिये गये विवरण के अनुसार सुझाव दिये/इनपुट दिए।

- उन्होंने बोर्ड से कहा कि चूँकि यह विभाग सीधे तौर पर जनता से संबंधित/जुडा हुआ है, अतः लेखापरीक्षा को यह देखना चाहिए कि कितनी महायोजनाएं (Master Plan) समाप्त हो गई है तथा इन स्थानों की पहचान भी करनी चाहिए?
- उन्होंने आगे कह कि लेखापरीक्षा को यह जॉच करनी चाहिए कि क्या नई महायोजनाएं तैयार की गई है या नहीं? महायोजना तैयार न किए जाने के पीछे के कारणों को भी देखा जाना चाहिए तथा उन पर टिप्पणी की जानी चाहिए।
- उन्होंने कहा कि भूमि उपयोग को दो तरीके से पहचाना जाता है अर्थात वर्णन विधि (खसरा) एवं दृश्य विधि (कलर मैंपिग) के माध्यम से। उन्होंने कहा कि महायोजना दृश्य विधि पर आधारित होती है न कि वर्णन विधि पर। उन्होंने आगे कहा कि भूमि गैर आवासीय उद्देश्यों के लिए चिन्हित थी लेकिन आवसीय उद्देश्य के रूप में उपयोग हुआ है इसकी जॉच की जानी चाहिए तथा उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए।
- उन्होंने सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा को शहर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम की विभिन्न धाराओं को देखना चाहिये एवं लेखापरीक्षा को यह भी देखना चाहिए कि कितने प्रकरणों में समुन्नति कर (Betterment Tax) अधिरोपित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, यदि पार्टियों आदि पर समुन्नति के लिए कर अधिरोपित नहीं किए गए है तो पार्टियों पर बाध्यताएं अधिरोपित की जानी चाहिए।
- उन्होंने आग्रह किया कि लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा जाना चाहिये कि अनुमोदित महायोजना के अनुसार प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
- उन्होंने यह भी कहा कि यदि कृषि भूमि के प्रकार को आवासीय भूमि में परिवर्तित की जाती है, तो भूमि के उस भाग का मूल्य प्राधिकरण के निर्णय के कारण बढ़ जाता है। अभिलाभ के कुछ अंश को टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की योजना लाभ के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रकरणों की भी पहचान की जानी चाहिए।
- लेखापरीक्षा को यह भी देखना चाहिये कि कितने निर्माण कार्यों को टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन होने के कारण ध्वस्त किया गया है।
- माननीय सदस्य ने पट्टे पर दी गई भूमि के बारे में अपनी अभ्युक्ति की। उन्होंने कहा कि लोकहित में भूमि का उपयोग करने के लिए राज्य के पास संप्रभु शक्ति है। पट्टा भूमि पर राज्य के पास कोई संवैधानिक अधिनियम नहीं है तथा कार्यकारी कार्रवाई के द्वारा कार्रवाई की जानी है न कि किसी अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत यदि राज्य कोई भूमि लेना चाहता है तो पट्टेदार से पट्टा वापस लिया जा सकता है।
- उन्होंने आगे कहा, चूँकि कोई भी ग्राम योजना नहीं है, इसलिए यह भी देखा जाना चाहिए किसी पंचायत प्रशासित क्षेत्र में कोई योजना है क्या?

(ii) श्री राहुल नोरोन्हा, सहायक सम्पादक, इंडिया टुडे ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए–

- उन्होंने कहा, यह देखा जाना चाहिए कि कितने प्रकरणों में, अनुदान किए गए पट्टों का उल्लंघन किया गया है?
- उन्होंने ऐसे प्रकरण को इगिंत करने के सुझाव दिये जहॉ महायोजना के उल्लंघन के विरूद्ध सरकार कदम उठाती है।
- उन्होंने आगे सलाह दी कि लेखापरीक्षा को यह जॉच करना चाहिए कि क्या महायोजना के उल्लंघन के प्रकरण में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, महायोजना के उल्लंघन के प्रकरण में दंड संबंधी प्रावधान की प्रयोज्यता को भी लेखापरीक्षा में देखा जाना चाहिए।

3 **"लोक सेवा आयोग का निष्पादन"** विषय पर डॉ. मोहम्मद सुहेल फजल, उप महालेखाकार/एएमजी–1 एवं 3 ने विषय–सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया। उन्होंने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि आयोग की पहली बार लेखापरीक्षा की जा रही है। लेखापरीक्षा में पदोन्नति एवं परामर्श के प्रकरण जैसे मुद्दों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी करने से पहले रिक्त पदों की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण के मुद्दों की वजह से रिक्तपद की रिपोर्टिंग करने में देरी होती है। लेखापरीक्षा मे हम मुद्दों की पड़ताल करेंगे कि क्या किसी मुद्दे में सरकार ने लोक सेवा आयोग से सलाह ली गई है और यह भी देखेगें है कि क्या लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी है या नहीं।

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, आईएएस ने कहा कि जिन परिणाम की प्रतिक्षा रहती है, उन्हे वर्षों गुजर जाने के बाद घोषित किया जाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं पुराने पैटर्न से कराई जा रही है।

(ii) सुश्री भक्ति शर्मा, पूर्व सरपंच बारखेडी ने कहा कि लेखापरीक्षा में पदोननति के प्रकरणों को भी शामिल किया जाना चाहिये।

(iii) श्री राहुल नोरोन्हा, सहायक संपादक, इंडिया टुडे ने कहा कि लेखापरीक्षा को यह भी देखना चाहिए कि सरकार द्वारा पिछले वर्षों में राज्य में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना कितनी भर्तियां की गई है। उन्होने आगे कहा कि खेल कोटा (डीएसपी/डीसी) के अंतर्गत नियुक्ति से संबंधित मुद्दों को भी लेखापरीक्षा के दौरान देखा जाना चाहिए।

4 **"बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय" लेखापरीक्षा** विषय पर, डा. मोहम्मद सुहेल फजल, उप महालेखाकार/एएमजी–1 एवं 3 ने विषय–सार प्रस्तुत किया तथा बोर्ड को लेखापरीक्षा में शामिल किए गए मुद्दों के बारे में सूचित किया। उन्होंने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि ए. सी.एस. ने इस जैसे विश्वविद्यालयों की लेखापरीक्षा करने का सुझाव भी दिया तथा कार्यालय ने इस वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में लेखापरीक्षित किए जाने हेतु इस विश्वविद्यालय को चुना।

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस ने यह देखने का सुझाव दिया कि क्या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय अधिनियम/विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन किया गया ?

(ii) श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) व अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय ने एनआईआरएफ रैंकिग के लिए आवेदन नहीं दिया है तथा यह 4 से 5 वर्षों में पात्रता मानदण्डों के बराबर होगा। चर्चा के दौरान उन्होंने आगे कहा कि हम संकाय हेतु चयन मानदण्ड एवं विश्वविद्यालय के पिछले वर्षों में किए गए व्यय को भी देखेगे।

(iii) सुश्री भक्ति शर्मा, पूर्व सरपंच, बारखेडी ने कहा कि विश्वविद्यालय राजनीतिक दबाव में है। इस संबंध में पेपर लीक विचारणीय महत्वपूर्ण मुद्दे है। आगे उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए।

(iv) श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए–

- उन्होंने कहा कि शासन प्रक्रिया से संबंधित निष्पादन संकेतकों को देखा जाना चाहिए।
- आगे, उन्होंने कहा कि कुलपति के पास उनकी निजी स्वायत्तता है। क्या कुलपति का चयन निष्पक्ष है? क्या निर्धारित किए गए नियमों का उचित तरीके से पालन किया गया है अथवा नहीं? संकाय के चयन हेतु मानकों की जॉच की जानी चाहिए।
- उन्होंने विश्वविद्यालय की स्व वित्त–पोषण/संसाधन सृजन प्रक्रिया की वस्तु–स्थिति की जॉच करने की सलाह दी।

5 **"स्कूल शिक्षा विभाग में मानव संसाधन प्रंबधन"** पर लेखापरीक्षा विषय पर, डा. मोहम्मद सोहेल फजल, उप महालेखाकार/ए एमजी–1 एवं 3 ने विषय–सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए गए मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया। सदस्यों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार विषय पर सुझाव/इनपुट दिए।

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आई एएस ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए

- माननीय सदस्य ने बताया कि नियुक्तियॉ तो की गई है लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे है जहॉ स्कूलों में कोई भी स्टाफ तैनात नहीं है। स्थानीय शिक्षकों की तैनाती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसकी जॉच की जानी चाहिए तथा उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए।
- उन्होंने कहा कि गंदी बस्तियों में या ऐसे क्षेत्रों में जहॉ मॉग वास्तविक है, वहां स्कूल खोले जाने चाहिए।
- उन्होंने लेखापरीक्षा से यह जॉच करने को कहा कि स्कूलों द्वारा कितनी पीटीएम आयोजित की गई और यह देखने के लिए भी कहा कि क्या स्कूलों में शिक्षकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार है।

(ii) श्री राजीव दुबे, चार्टर्ड अकांउटेंट ने निम्नोक्त इनपुटों का सुझाव दिया:

- उन्होंने शिक्षक की अन्य कार्यों में तैनाती पर इशारा किया। स्कूलों में कोई भी लेखापाल तैनात नहीं किया गया है। शिक्षण कार्य से अन्यथा सभी कार्य शिक्षकों के द्वारा स्वयं ही किए जा रहे है। आगे, उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों को अन्य कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए तथा उनका कार्य केवल शिक्षण कार्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

- उन्होने यह भी कहा कि लेखापरीक्षा को बजट आवंटन एवं उपयोगिता से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं को इंगित करना चाहिए।

(iii) श्री परशुराम तिवारी, सामाजिक विशेषज्ञ, ने कहा कि लेखापरीक्षा को शिक्षक की अन्य कार्यों में तैनाती के प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए।

(iv) श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने निम्नोक्त सुझाव/इनपुट दिए।

- उन्होंने बताया कि नागरिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाना चाहिए तथा इस कार्ड का प्रयोग ज्ञान एवं व्यक्तिगत प्रवृति के लिए शामिल की गई प्रश्नावली तैयार करके शिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा यह जॉच करें कि माता–पिता शिक्षकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करते है? क्या माता–पिता की पृष्ठपुष्टि प्राप्त की गई है? उन्होंने यह भी कहा कि मूल्याकंन प्रणाली को मजबूत किया जाना है। अतिथि शिक्षकों के संबंध में उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि उनकी तैनाती कैसे हुई है तथा अतिथि शिक्षकों से संबंधित बजट अनुमान क्या है?

(iv) सुश्री निराशा देवी राजपुत, अध्यक्ष एसएचजी ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में कहा कि बहुत से स्कूल अतिथि शिक्षकों द्वारा चलाए जा रहे है, बहुत से स्कूलों में नियमित शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। उन्होंने लेखापरीक्षा करते समय इस बिंदु पर विचार करने का अनुरोध किया।

(v) सुश्री वैशाली चौधरी, अध्यक्ष, एसएचजी ने कहा कि स्कूलों में यह देखने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है कि स्कूल में कितने शिक्षक उपस्थित है?

(vi) श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) व अध्यक्ष ने बताया कि लेखापरीक्षा स्कूलों द्वारा स्थानीय निधियों की उपयोगिता को देखेगी तथा विश्लेषण करेगी।

6 स्थानिय निकाय में परिवहन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा विषय पर, श्री आर तारकनाथ, उपमहालेखाकार/एएमजी–4 ने विषय सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया। सदस्यों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार विषय पर सुझाव/इनपुट दिएः

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आई ए एस ने सुझााव दिया कि लेखापरीक्षा में शिक्षा उपकर की उपयोगिता देखा जाना चाहिए तथा उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।

(ii) श्री राजीव दुबे, चार्टर्ड अकांउटेंट ने सुझाव दिया कि यू एल बी कम्प्यूटरीकृत कर संग्रह प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए।

7 **मध्य प्रदेश मे आवासीय कालोनियों का विकास पर लेखापरीक्षा** विषय पर, श्री आर तारकनाथ, उप महालेखाकार/एएमजी–4 ने विषय सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में षामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया। सदस्यों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार विषय पर सुझाव/इनपुट दिएः

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिएः

- उन्होंने बताया कि आवासीय कालोनियों में, बहुत से ऐसे मामले देखे गए है कि पार्क आदि के विकास कि लिए जगह को भी डेवलेपरों के द्वारा बेचा गया है तथा यदि कोई प्रकरण नजर में आये तो लेखापरीक्षा को ऐसे मुद्दों को प्रकाश में लाने की सलाह दी।
- उन्होंने कहा कि अनुमोदित कालोनियों पर अर्थात प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोलोनियॉ पर, लेखापरीक्षा में जोर दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा को यह देखना चाहिए कि अनुमोदन में दी गई शर्तों का पालन हुआ है या नहीं। ये शर्ते अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप है।
- उन्होंने एमपीएलआरसी अधिनियम की धारा 172 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को देखने का भी सुझाव दिया। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया तथा बोर्ड को सूचित किया कि बहुत सी अनुमोदित कालोनियॉ अवैध कालोनियों के समान है क्योंकि अनुमोदन के दौरान सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का वे उल्लघंन करती है।

8 **" भूमि विचलन" पर लेखापरीक्षा** विषय पर, श्री जितेन्द्र तिवारी, वरि. उप महालेखाकार/एएमजी–5 एवं प्रशा. ने विषय सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया। उन्होंने कहा कि एम पी एल आर सी की धारा 165 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा मंजूरी देकर जनजातीय भूमि का उपयोग किया जा सकता है। सदस्यों ने उपर्युक्त विषय पर नीचे दिए गए विवरणानुसार सुझाव दिये/इनपुट दिए:

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आई ए एस ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए:

- उन्होंने बताया कि भूमि परिवर्तन के प्रकरण में केवल कलेक्टर एम पी एल आर सी की धारा 165 के अंतर्गत जनजातीय भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रदान करते है। यह जॉच की जानी चाहिए कि क्या कलेक्टर द्वारा मुजूरी दी गई या नही?
- उन्होंने ग्वालियर और रतलाम जिलों में इस प्रकार के प्रकरणों को भी देखने का सुझाव दिया।

9 **गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति पर लेखापरीक्षा** विषय पर, श्री संजय साहू, उप महालेखाकार/एएमजी–2 ने विषय सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया। उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा के दौरान हम प्रमाणिक लाभार्थियों पर जोर देते है। सदस्यों ने उपर्युक्त विषय पर नीचे दिए गए विवरणानुसार सुझाव दिये/इनपुट दिए:

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आई ए एस ने यह जॉच करने का सुझाव दिया कि क्या ऑगनवाडी में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है?

(ii) सुश्री वैशाली चौधरी, अध्यक्ष एस एच जी निर्धारित समय–सारणी के अनुसार भोजन बिलकुल भी नहीं पहुॅचाया जा रहा है। उन्होंने एडल्यूसी में औचाक निरीक्षण करने के लिए कहा। इस टिपपणी पर, प्रम.ले. ने कहा कि हम औचक निरीक्षण कैसे कर सकते है, हमें विभागिय कार्मिक के साथ दौरा करना होता है।

(iii) सुश्री निराशा देवी राजपूत, अध्यक्ष एसएचजी ने कहा कि भले ही बच्चे आंगनवाडी केन्द्रों पर नहीं जा रहे हैं फिर भी उपस्थिति चिन्हित की जा रही है।

(iv) श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने लाभार्थी सर्वेक्षण करने के लिए तथा लेखापरीक्षा दल को प्रशिक्षण देने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि हमें उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता से पृष्ठपुष्टि लेनी चाहिए।

(v) श्री परशुराम तिवारी, सामाजिक विशेषज्ञ ने कहा कि लाभार्थियों की उपस्थिति पृष्ठभूमि देखी जा सकती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में तृतीय पक्ष रिपोर्ट कार्ड को भी देखा जा सकता है।

(vi) श्री डी साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) व अध्यक्ष ने बताया कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के साथ यदि आवश्यक हो तो विडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।

10 **"जनजातीय विकास प्राधिकरण (आईटीडीए)" पर लेखापरीक्षा** विषय पर, श्री संजय साहू, उपमहालेखाकार/एएमजी– II ने विषय–सार प्रस्तुत किया तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया। सदस्यों ने उपर्युक्त विषय परी नीचे दिए गए विवरणानुसार सुझाव दिये/इनपुट दिए।

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जाती है।

(ii) श्री योगेश कुमार, कार्यकारी निदेशक, समर्थन ने कहा कि हितधारियों के साथ जिला स्तरीय परामर्श किया जाना चाहिए तथा एक सर्वेक्षण करके हितधारियों के मुद्दे की पहचान की जानी चाहिए।

11 **"आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति"** पर लेखापरीक्षा विषय पर, श्री संजय साहू, उपमहालेखाकार/एएमजी– II ने विषय–सार प्रस्तुत किया गया तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को बताया।

अपरान्ह पश्चात, वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023–24 की विषयों पर श्री अजय वी यशवंत, उपमहालेखाकार/एएमजी– IV के द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा– II) का कार्यालय, भोपाल की पीपीटी प्रस्तुत की गई तथा सदस्यों के द्वारा निम्नोक्त सुझाव/इनपुट दिए गए:

1 **पशुपालन और डेयरी विभाग की कार्यपद्धति पर निष्पादन लेखापरीक्षा** विषय का विषय–सार प्रस्तुत किया गया। तथा लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बोर्ड को सूचित किया गया। सदस्यों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार सुझाव दिए/इनपुट दिए:

(i) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस ने सुझाव दिये/इनपुट दिए:

- पशुपालन एक महत्वपूर्ण विभाग है तथा विभाग का व्यय कम है। स्थापना एवं स्वास्थ्य सुविधा पर, इस विभाग का मुख्य व्यय बहुत कम है। पशुपालन एक ऐसा विभाग है जिसका समाज के कमजोर वर्ग पर सीधा प्रभाव होता है। क्योंकि गरीब लोग अपनी आजीविका के लिए दूध व अन्य उत्पादों के लिए अपने पालतू जानवरों पर आश्रित होते है। यदि इस क्षेत्र को विकसित किया जाता है तो यह राष्ट्र के विकास पर सीधा असर डालेगा।
- आगे उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि गौशालाओं का निरीक्षण किया जाए कि क्या वे उचित स्थिति में कार्य कर रहे है, गौशाला की क्षमता उपयोगिता का उपयोग किया जा रहा है, गौशाला में मवेशियों को चारा दिया जा रहा है और गौशाला में गोबर (गाय का गोबर) की क्या उपयोगिता है।

(ii) सुश्री वैशाली चौधरी, अध्यक्ष एसएचजी ने कहा कि लेखापरीक्षा को देखना चाहिए कि स्वयं सेवकों को समय पर भुगतान किया जा रहा है या नहीं।

2 सदस्यों को **जीएसटी के अंतर्गत ई–वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा**, एवं नमामि गंगे परियोजना का कार्यान्वयन पर केंद्रीय निष्पादन लेखापरीक्षा का विषय–सार प्रस्तुत किया गया।

3 पीएचईडी में **जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन विषय** पर, सदस्यों के नीचे दिए गए विवरणानुसार विषय पर सुझाव दिये/इनपुट दिए:

(i) सुश्री भक्ति शर्मा, पूर्व सरपंच, बारखेडी ने कहा कि लेखापरीक्षा में निविदा प्रकिया को देखा जाना चाहिए। सामान्यतः निविदाएं अधिसूचित की जाती है लेकिन आंवटित नहीं।

(ii) श्री योगेश कुमार, एनजीओ समर्थन ने सुझाव दिए/निम्नोक्त इनपुट दिए:

- उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों में से ज्यादातर कामकाजी स्थिति में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी ग्राम कार्य योजना तैयार नहीं की गई है।
- इसके अलावा, उन्होंने कहा कि चूँकि प्रोत्साहन का प्रावधान है, अतः इस योजना में दिए गए प्रोत्साहनों के लिए फर्जी कनेक्शन लिए जाते है।
- उन्होंने कहा कि तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा का प्रावधान है। महालेखाकार को तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा गुणवत्ता की जॉच करना चाहिए।

4 **मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की कार्य प्रणाली"** विषय पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईएएस ने सुझाव दिया कि लेखापरीक्षा को लघु उद्योग पर Gem पोर्टल के प्रभाव को देखना चाहिए।

(ii) श्री राहुल नोरोन्हा, सहायक सम्पादक, इंडिया टुडे ने सुझाव/निम्नोक्त इनपुट दिए–

- एमपी लघु उद्योग लिमिटेड मृगनयनी नामक एम्पोरिया की एक श्रृंखला चलाता है। एमपी हस्तशिल्प विकास निगम, एमपी लघु उद्योग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मृगनयनी नामक एम्पोरिया की एक श्रृंखला चलाती है। एम्पोरिया श्रृंखलाओं में एकमात्र अंतर वर्तनी में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एम्पोरिया में ब्रांडिंग के मामले में कोई टकराव है और क्या उन्हें विलय करने से संचालन में बेहतर तालमेल हो सकता है और उनके जनादेश को संबोधित किया जा सकता है– जो कि मध्य प्रदेश के कारीगरों और हस्तशिल्प का समर्थन करना है।
- एमपी लघु उद्योग लिमिटेड की मुख्य भूमिका एक केंद्रीय खरीद संगठन की है। दूसरे शब्दों में संगठन क्रय में विशेषज्ञता प्रदान करता है। खरीद नियमबद्ध है और उनका उल्लंघन सरकार पर लाल ध्वज इगिंत करता है और उन अधिकारियों राजनीतिक कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए एक समस्या हो सकती है जो खरीद प्रक्रिया का हिस्सा हैं जहां नियमों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि केंद्रीय क्रय संगठन के रूप में एमपी लघु उद्योग लिमिटेड की भूमिका कम हो गई है,

क्योंकि कुछ विभागों के पास अब अपनी विशेष क्रय एजेंसियां हैं, (चिकित्सा निगम), उदाहरण के लिए, एमपी लघु उद्योग लिमिटेड अपने ग्राहकों को कितनी प्रभावी ढंग से बताने में सक्षम है, अर्थात सरकारी विभाग, कि उनके माध्यम से खरीद खरीद प्रक्रिया में शामिल लोगों के लिए एक व्यावहारिक रूप से बेहतर कदम है?

- एमपी लघु उद्योग लिमिटेड कितनी बार लाल झंडी दिखाकर सरकारी खजाने को बचाने में सफल रहा है जब विभाग सीधे और उच्च कीमत पर खरीद कर रहे थे?

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) कार्यालय के डा. मोहम्मद सुहेल फजल, उ.म.ले. (एएमजी– I एवं III) व सदस्य सचिव सह–संयोजक द्वारा सभी बाहय एवं आंतरिक सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

सभी बाह्य सदस्यों ने वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के लिए चुने गए विषयों की सराहना की क्योंकि वे प्रांसगिक एवं जनकेंद्रित थे और अच्छी प्रस्तुति एवं सार्थक/उपयोगी चर्चा के लिए श्री डी.साहू, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–1) व अध्यक्ष की प्रशंसा की।

23/5/23

उप महालेखाकार/ए.एम.जी.– III एवं सदस्य

सचिव सह–संयोजक (एस.ए.ए.बी)

प्रति अग्रेषित है–

कं. एमजी3 / एपीडीएसी / एस.ए.ए.बी. / कार्यवृत्त / जा. दिनांक 2023

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) म0प्र0 ग्वालियर
2. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा– II) म0प्र0 भोपाल
3. उप महालेखाकार (एएमजी– V एवं प्रशासन)
4. उप महालेखाकर (एएमजी – II)
5. उप महालेखाकार (एएमजी – I)
6. उप महालेखकार (एएमजी – IV)
7. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (एएमजी – I एवं प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) म0प्र0 भोपाल
8. उप महालेखाकार (एएमजी – IV) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) म0प्र0 भोपाल
9. वरिष्ठ उप महालेखाकार (एएमजी – II) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) म0प्र0 भोपाल)
10. उप महालेखाकार (एएमजी – III) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा– I) म0प्र0 भोपाल
11. श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, भूतपूर्व सेवा निवृत्त आई.ए.एस.
12. प्रो. एस. कोटेश्वरा राव उप कुलाद्यिपति राजमाता विजयराजे सिंधियां कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर
13. प्रो. राजेन्द्र साहू निदेशक ए.बी.बी.– आई.आई.टी.एन. ग्वालियर
14. सुश्री निशी मिश्रा, प्राचार्य सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर
15. श्री राजीव कुमार दुबे, सनदी लेखाकार इंदौर
16. सुश्री भक्ति शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक, भूतपूर्व सरपंच बरखेडी अब्दुला ग्राम पंचायत
17. श्री राहुल नोरोन्हा सह– संपादक इंडिया टूडे
18. डॉ. परशुराम तिवारी, सामाजिक विशेषज्ञ, अटल विहारी बाजपेयी सुशासन एंव नीति विश्लेषण संस्थान
19. श्री योगेश कुमार कार्यकारी निर्देशक 'समर्थन' एन.जी.ओ.
20. सुश्री निराशा देवी अध्यक्ष सरस्वती देवी एस.एच.जी.
21. सुश्री वैशाली चौधरी अध्यक्ष प्रेरणा शक्ति एस.एच.जी

23/5/23

उप महालेखाकार (एएमजी– III)

एवं सदस्य सचिव सह–संयोजक (एस.ए.ए.बी)

अनुलग्न क. 1

दिनांक 06.01.2023 को आयोजित राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

माननीय बाह्य सदस्य श्री / सुश्री		आंतरिक सदस्य–श्री	
1. मनोज श्रीवास्तव	सेवानिवृत्त आईएएस	1.डी.साहू	अध्यक्ष एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा–I) म0प्र0 ग्वालियर
2. राजीव कुमार दुबे	सनदी लेखाकार इंदौर	2 डॉ. मो. सुहेल फजल	सदस्य सचिव एवं सयोजक एंव उप महालेखाकार एम. जी. I एवं III कार्या. प्र.महा. (ले.प.– I) म0प्र0 ग्वालियर
3. भक्ति शर्मा	भूतपूर्व सरपंच बरखेडी अब्दुला ग्राम पंचायत	3 जितेन्द्र तिवारी	पदेन सदस्य एवं वरि. उपमहालेखाकर एम.जी.– V एवं प्रशासन कार्या. प्र.महा. (ले.प.– I) म0प्र0 ग्वालियर
4. राहुल नोरोन्हा	सह संपादक इंडिया टुडे	4 संजय साहू	उपमहालेखाकर ए.एम.जी.– II कार्या. प्र.महा. (ले.प.– I) म0प्र0 ग्वालियर
5. डॉ. परशुराम तिवारी	समाजिक विशेषज्ञ अटल विहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	5 अजय वी. यश्वन्त	पदेन सदस्य उपमहालेखाकर एमजी– IV कार्या. महा.(ले.प.– II) भोपाल
6 योगश कुमार	कार्यकारी निर्देशक समर्थन एनजीओ	6 आर. तारकनाथ	उपमहालेखाकर एम.जी.– IV कार्या. प्र.महा. (ले.प.– II) म0प्र0 ग्वालियर
7.सुश्री वैशाली चौधरी	अध्यक्ष प्रेरणा शक्ति एस.एच.जी		
8 सुश्री निराशा देवी	अध्यक्ष सरस्वती देवी एसएचजी (एमएसटीम के माध्यम से आनलाईन)		
9 प्रो. एस. कोटेश्वर राव	भूतपूर्व कुलपति, विजयाराजे सिन्धिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (एम.एस. टीम के माध्यम से)		
10 प्रो. राजेन्द्र साहू	निदेशक, ए.बी.वी. आइ. आइ आइ टी एम, ग्वालियर(एम. एस. टीम के माध्यम से)		

अनुलग्नक – ख

कार्यालय प्रधान महालेखकार लेखा (परीक्षा–I) म0प्र0 ग्वालियर के निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा विषयों का विवरण

1. 'नगरीय निकाय द्वारा सडकों एवं अन्य लोक सुविधाओं के निर्माण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा
2. 'टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की कार्य पद्वति" पर निष्पादन लेखापरीक्षा
3. 'लोक सेवा आयोग का निष्पादन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा
4. 'बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय' की लेखापरीक्षा
5. 'स्कूल शिक्षा विभाग में मानव संसाधन प्रंबधन' पर लेखापरीक्षा
6. 'स्थानिय निकाय में परिवहन प्रबंधन' पर लेखापरीक्षा
7. 'मध्य प्रदेश मे आवासीय कालोनियों का विकास' पर लेखापरीक्षा
8. 'भूमि विचलन' पर लेखापरीक्षा
9. 'गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति' पर लेखापरीक्षा
10. जनजातीय विकास प्राधिकरण (आईटीडीए) पर लेखापरीक्षा
11. 'आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की कार्य पद्वति' पर लेखापरीक्षा

अनुलग्नक –ग

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) मध्य प्रदेश, भोपाल के निष्पादन /अनुपालन लेखापरीक्षा विषयों का विवरण

1. पशुपालन और डेयरी विभाग के कामकाज पर निष्पादन लेखापरीक्षा
2. जीएसटी के तहत ई–वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा
3. नमामि गंगे परियोजना को कार्यान्वयन पर केंद्रीय निष्पादन लेखापरीक्षा
4. 'एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित सड़क कार्यों के अनुबंध जीवन चक्र प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा
5. "सोलर पार्क एसवं अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्टस" पर निष्पादन लेखापरीक्षा
6. एमपीएसईडीसी द्वारा विकास, आईटी पार्कों का विनिर्माण, पार्कों का आवंटन पर लेखापरीक्षा
7. मध्यप्रदेश में जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का क्रियान्वयन एवं मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा
8. राष्टीय कृषि विकास योजना पर लेखापरीक्षा
9. मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा
10. एन.वी.डी.ए. द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा
11. जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग–चरण–II पर विभाग की निगरानी पर लेखापरीक्षा
12. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के निर्धारण के लिए खनन खदान पट्टों में अनुमानित रॉयल्टी का आकलन और रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा
13. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा
14. पीएचईडी में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा
15. मध्य प्रदेश के डिस्काम (DISCOM) द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) का कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा
16. मध्यप्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन एवं विकास पर लेखापरीक्षा